कमलेश कुमार ईश्वरदास पटेल आदि

बनाम

भारत का संघ और अन्य, आदि

अप्रैल 17,1995

[मुख्य न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी, न्यायमूर्तिगण एस. सी. अग्रवाल, एस. पी. भरुचा, के. एस. परीपूरनन और सुजाता वी. मनोहर]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की धारा 3 और 11

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 -धारा 3 3 और 12- निरोध आदेश- निररूद्ध व्यक्ति का अभ्यावेदन का अधिकास किसको अभ्यावेदन किया जाना है- निरोध आदेश को रद्द करने के लिए कौन सशक्त है।

भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 22 (4) और (5) के अंतर्गत निवारक निरोध- निररूद्ध व्यक्ति के अधिकारों की प्रकृति और दायरा।

अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला सामान्य प्रश्न यह था कि जब निवारक निरोध का आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो क्या उक्त अधिकारी को निररूद्ध द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

सकारात्मक रूप से प्रश्न का उत्तर देते हुए निररूद्ध व्यक्तियों की ओर से अपीलों को अनुमति दी गई | भारत संघ की अपीलों को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने अवधारित किया

1. संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ संरक्षण निर्धारित करता है। पहला अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) में और अन्यर अनुच्छेद 22 के खंड (5) में निहित है। पूर्व खंड यह प्रावधानित करता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधिकिसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि एक सलाहकार सलाहकार बोर्ड ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दी हो कि उसकी राय में निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। उत्तरार्द्ध में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी विधि के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया है , तो आदेश देने वाला प्राधिकारी| यथाशीघ्र उस व्यक्ति को उस आदेश का आधार संसूचित करेगा और उसे आदेश आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करेगा ।

2. अनुच्छेद 22 (5) का निर्वचन इस प्रकार होना चाहिए कि निरुद्ध के पास निरोध आदेश के विरुद्ध न केवल सलाहकार बोर्ड को बल्कि निरोध प्राधिकारी को भी अभ्यावेदन करने का अधिकार है, अर्थात वह *प्राधिकारी* जिसने इस तरह के निरोध को को जारी रखने का आदेश दिया है, जो विधि के तहत निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए सक्षम है जिससे निरुद्ध व्यक्ति को अनुतोष दिया जाता है। अभ्यावेदन करने का अधिकार अपने अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी पर एक तत्समान दायित्व निर्धारित करता है जिससे निरुद्ध व्यक्ति निरोध के आदेश के विरुद्ध इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार के लिए अधिकृत प्राधिकारियों को एक अभ्यावेदन दें सके । [289 - एच, 290-ए]

बॉम्बे राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य, [1951] एससीआर 167; अब्दुल करीम और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1969] 3 एससीआर 479; पंकज कुमार चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 1 एससीआर 543; जयनारायण सुकुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 3 एस. सी. आर. 225 और अमीर शाद खान बनाम एल. हमिंग्लियाना और अन्य [1991] 4 एस. सी. सी. 39, संदर्भित किए गए|

3. विदेशी मुद्रा संरक्षण और निवारण अधिनियम की धारा 11 के खंड ए और बी **और** स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988(पी. आई. आई. टी. एन. डी. पी. एस.) की धारा 12 मे निरोध के आदेश को निरस्त करने की शक्ति जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रदान की गई है ,उस प्राधिकारी जिसने निरोध का आदेश दिया है उसके लिए उपलब्ध निरसन की शक्ति के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्रदत्त उक्त शक्ति , उस प्राधिकारी को उपलब्ध शक्तियों को कम नहीं करती है जिसने निरोध के आदेश को निरस्त करने के लिए आदेश दिया है। [293 - एफ, ई]

4. कोफेपोसा अधिनियम कि धारा11 की उप-धारा (1) और पी. आई. टी. एन. डी. पी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द " सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" उस अधिकारी की निरस्त करने की शक्ति को संरक्षित करता है जिसने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत आदेश पारित किया हो ।[294 - ई]

5. यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 22 (5) आदेश देने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है ।अनुच्छेद 22 (5) द्वारा परिकल्पित निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए निरुद्ध व्यक्ति के अधिकार का अर्थ उस प्राधिकारीको अभ्यावेदन करने के अधिकार से है जो ऐसा ऐसा अनुतोष प्रदान कर सकता है अर्थात ऐसा प्राधिकारी जो निरोध के आदेश को निरस्त कर सकता है और उसे मुक्त कर सकता है और चूंकि जिस अधिकारी ने निरोध का आदेश आदेश दिया है वह इसे रद्द करने में सक्षम है, इसलिए निरुद्ध व्यक्ति को उस अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार है जिसने निरोध का आदेश दिया था। [285 - जी, 285-एच, 286-ए]

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती सुशीला मफतलाल शाह और अन्य, [1988]4 एस. सी. सी. 490, अस्वीकृत किया गया|

हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1975] 3 एस. सी. सी. 198 और जॉन मार्टिन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1975] 3 एस. सी. सी. 836, मे अंतर समझाया गया|

इब्राहिम बाचू बाफान बनाम गुजरात राज्य और अन्य , [1985] 2 एससीसी 24,पर भरोसा किया।

6. यह आधार कि जिस सरकार ने अधिकारी को निरोध का आदेश देने के लिए सशक्त किया है वह निरोध प्राधिकारी बन जाता है क्योंकि इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश को सरकार द्वारा इसके जारी होने के समय से ही अनुमोदित माना जाता है , जो कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के विपरीत है और अन्य निवारण निरोध विधि अर्थात् राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 से अलग है। [297 - जी, एच, 298-ए]

6.1 कोफेपोसा अधिनियम और पी आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के लिए राज्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपने बल पर संचालित होता है। कोफेपोसा अधिनियम और पी आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम अधिनियम की धारा 3(2) के तहत यह आवश्यक है कि राज्य सरकार 10 दिनों के भीतर भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में एक आख्या भेजेगी। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गए के समान ही माना जाता है क्योंकि ऐसे दोनों आदेशों के संबंध में आख्या केंद्र सरकार को भेजनी होती है। केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में ऐसी कोई आख्या केंद्र सरकार को अग्रेषित करने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है| कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3(2) और पी. आई. टी. एन. डी. पी. पी. एस. अधिनियम में आख्या भेजने की आवश्यकता इसलिए यह मानने का आधार नहीं नहीं हो सकती कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी

अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उस सरकार से इसके जारी होने की तारीख से *स्वीकृत* अनुमोदन प्राप्त करता है।(298-ई, एफ, जी, एच, 299-ए]

6.2 केवल इसलिए कि निरोध का आदेश उस अधिकारी द्वारा किया गया है जिसे उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है इस निष्कर्ष को न्या योचित नहीं बना देता कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से उस सरकार का स्वीकृत अनुमोदन प्राप्त कर लेता है जिसने उसे सशक्त किया है ताकि उक्त सरकार निरोध प्राधिकारी बन जाए। [299 - डी, ई]

6.3 चूंकि निरुद्ध व्यक्ति के निरोध को ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश से विधिक आधार मिलता है, इसलिए अधिकारी उक्त व्यक्ति के संबंध में निरोधक प्राधिकारी है। उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी निरोधक प्राधिकारी बना रहता है और निरोध का आदेश देने के बाद संबंधित सरकार द्वारा उसे विस्थापित नहीं किया जाता है। इसलिए निरोधक प्राधिकारी होने के नाते उसे निरोध के आदेश के विरुद्ध निरूद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करना आवश्यक है[299 - एफ, 300-बी, सी]

कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1981] 3 एस. सी. सी. 558 और श्रीमती मासुमा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1981] 3 एस. सी. सी. 566, मे अंतर किया गया|

6.4 सुशीला मफतलाल शाह (उपरोक्त) में निर्णय जहाँ तक यह अभिनिर्धारित करता है कि जहां इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरोध का आदेश दिया जाता है, वहां निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं थी और इस पर केवल उपयुक्त सरकार जिसने ऐसे अधिकारी को सशक्त बनाया था, द्वारा विचारण किया जायेगा यह सहीविधि निर्धारित नहीं करता है। [300 - जी, एचजे]

7. जहाँ निरोध का आदेश कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी द्वारा दिया गया है, निरुद्ध व्यक्ति को उक्त के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार है और उक्त अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है, और ऐसा करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप निरोध के

आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के प्रदत्त अधिकार से निरुद्ध व्यक्ति वंचित हो जाता है । [301 - सी, डी]

7.1 निरुद्ध व्यक्ति का यह अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के अतिरिक्त है जहां क्रमश: राज्य सरकार और केंद्र सरकार विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा निरोध आदेश दिया गया है और उसी पर विधिवत विचारकिया जाना है। [301 - ई]

7.2 अभ्यावेदन करने के इस अधिकार का अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि निरुद्ध व्यक्ति को उस प्राधिकारी को अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिसने निरोध के आधार के साथ उस समय निरोध का आदेश दिया है ताकि ताकि वह ऐसा अभ्यावेदन करने में सक्षम हो और ऐसा करने में विफलता का परिणाम निरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित करना होगा। [301 - एफ]

8. आदेश देने वाले अधिकारी की ओर निरूध व्यंक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने में असफलता / विफलता निरोध आदेश को गैर कानूनी और अवैध बनाता है। इस अवैधता को केंद्र सरकार में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने से ठीक नहीं किया जाता है। [303 - डी]

श्रीमती संतोष आनंद बनाम भारत संघ, [1981] 2 एस. सी. सी. 420, पर भरोसा किया गया ।

सतपाल बनाम पंजाब राज्य, 1 एस. सी. सी. 12 और राजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, [1982] 3 एस. सी. सी. 10, अंतर किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 1994 की आपराधिक अपील संख्या 764-65 आदि।

आदि।

1994 की आपराधिक रिट याचिका संख्या284 मे बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और और आदेश दिनांकित 16/19.9.94 से|

सीआरएल. ए. संख्या 764-65/94 मे राम जेठमलानी, श्रीमती एच. वाही, सुश्री एन. मुखर्जी और सुश्री एस. हजारिका अपीलार्थियों के लिए

सीआरएल. ए. संख्या 553/95 मे अपीलार्थी की ओर से आर. के. जैन, मनोज गोयल और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा

के. टी. एस. तुलसी, अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता , वाई. पी. महाजन, वी. जे. फ्रैन सी. आई. एस., वी. के. वर्मा, कृष्ण महाजन और डी. एस. मेहरा भारत संघ के लिए

सीआरएल. ए. संख्या 850/94 मे प्रत्यर्थियों के लिए राम जेठमलानी, बी. कुमार और के.के. मणि

सीआरएल. ए. संख्या 553/95 में प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के लिए ए. एस. भास्मे।

सीआरएल. ए. संख्या 764-65/94 मे हस्तक्षेपकर्ता के लिए आर. के. जैन, पी. एच. पारेख, सुश्री सुनीता शर्मा और एन. के. साहू|

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल द्वारा दिया गया था|

सीआरएल ए. संख्या 282/94 मे अनुमति दी गई |

जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा निवारक निरोध का आदेश पारित किया जाता है, तो क्या उक्त अधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने की आवश्यकता होती है?

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों का निवारण अधिनियम,1974 [संक्षेप [संक्षेप में ' कोफेपोसा अधिनियम ' और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का निवारण अधिनियम, 1988 [संक्षेप में 'पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम] अधिनियम] के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सशक्त अधिकारियों द्वारा पारित निवारक आदेशों के संदर्भ में इन अपीलों में यह सामान्य प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होता है। इस इस प्रश्न पर इस न्यायालय के निर्णयों में भिन्नता है। अमीर शाद खान बनाम एल हिंगलियाना और अन्य [1991] 4 एससीसी 39, (तीन न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया) मे यह धारित किया गया है कि जहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कोई निरोध आदेश पारित किया है और एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वह आश्वस्त है कि निरोध आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है, वह आदेश को रद्द कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीमती सुशीला मफतलाल शाह एवं अन्य , [1988] 4 एससीसी 490, (दो न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा निर्णय) में एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त

किया गया है। यह धारित किया गया है कि यदि निरोध आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है , तो निरुद्ध के अभ्यावेदन पर केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ही विचार किया जा सकता है और उस अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा जिसने आदेश पारित किया था।

उठाए गए प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ सुसंगत विधियों में निहित प्रावधानों के प्रकाश में विचार किया जाना जाना चाहिए।

संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों को निवारक निरोध के लिए विधि बनाने बनाने की अनुमति देते हुए , निरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 22 में कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। ऐसा एक संरक्षण अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उप-खंड (ए) में निहित है, जिसमें प्रावधानित है कि निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध में रखने की अनुमति नहीं देगी , जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, या थे, या नियुक्त होने के योग्य हैं , उन्होंने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले आख्या दी है कि उनकी राय में निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। अन्य सुरक्षा अनुच्छेद 22 के खंड (5) में निहित है जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

"जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के प्रावधान वाली किसी भी विधि के अंतर्गत दिए दिए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र , ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में संसूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा "।

इस प्रावधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी अन्य प्रावधान के समान ही शक्ति शक्ति और पवित्रता है। [देखें: बॉम्बे राज्य बनाम आत्मा राम श्रीधर वैद्य , [1951] एससीआर 167, पृष्ठ 186 पर] । अनुच्छेद 22(5) निवारक निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी पर दोहरी बाध्यता निर्धारित करता है : (i) निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना जिस पर निरोध का आदेश दिया गया है ; और (ii) निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 22(5) इस आधार पर *आगे बढ़ता है* कि निरुद्ध व्यक्ति को के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार है और उपरोक्त दो दायित्व निरोध का

आदेश देने वाले प्राधिकारी पर लगाए गए हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि निरुद्ध व्यक्ति का अभ्यावेदन करने के अधिकार एक वास्तविक अधिकार है और वह उस गलती के निवारण के लिए कदम उठाने में सक्षम है जिसे वह मानता है कि उसके विरुद्ध गलत हुआ है। हालाँकि, अनुच्छेद 22(5) उस प्राधिकारी को इंगित नहीं करता है जिसे अभ्यावेदन अभ्यावेदन किया जाना है। चूँकि निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन का और प्रयोजन उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम बनाना है , इसलिए उक्त अभ्यावेदन उस प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए जो ऐसा अनुतोष दे सकता है, अर्थात वह प्राधिकारी जो निरोध के आदेश को रद्द कर सकता है और उसे स्वतंत्र कर सकता है। जिस प्राधिकारी ने निरोध का आदेश दिया है वह उसे रद्द भी कर सकता है। यह अधिकार आदेश देने की शक्ति में अंतर्निहित है। इसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा मान्यता प्राप्त है, हालांकि यह इससे प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 22(5) यह अभिधारण करता है कि कि निरुद्ध व्यक्ति को आदेश देने वाले प्राधिकारी के समक्ष निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार है। इसके अलावा, ऐसा अभ्यावेदन किसी अन्य प्राधिकारी को को भी दिया जा सकता है जो निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए विधि द्वारा सशक्त है।

विद्वान अतिरिक्त महान्यायभीकर्ता ने आग्रह किया है कि अनुच्छेद 22(5) द्वारा परिकल्पित अभ्यावेदन अनुच्छेद 22(4) में संदर्भित सलाहकार बोर्ड को किया किया जाना चाहिए क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना मामला करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया है ।

विद्वान अतिरिक्त महान्यायभीकर्ता ने इस प्रस्तुतिकरण के लिए 22(5) में "आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करना " शब्दों का समर्थन प्राप्त किया और अभिवाक किया कि एकवचन में "ए" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि केवल एक ही अभ्यावेदन किया जाना है और वह अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड को दिया जाना है क्योंकि संविधान के अंतर्गत परिकल्पित यही एकमात्र प्राधिकारी है जो इस तरह के अभ्यावेदन पर पर विचार कर सकता है। हम अनुच्छेद 22(5) में "आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करना" शब्दों को, जो निरुद्ध व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाले मौलिक अधिकार की प्रकृति में है, ऐसा प्रतिबंधित अर्थ देने में असमर्थ हैं । जैसा कि पहले कहा गया है अनुच्छेद 22(5) 22(5) द्वारा परिकल्पित अभ्यावेदन करने के अधिकार का अंतर्निहित उद्देश्य निरुद्ध को तत्काल अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यदि विद्वान अतिरिक्त *महान्यायभीकर्ता* द्वारा प्रस्तुत को स्वीकार कर लिया जाता है तो सलाहकार बोर्ड द्वारा

मामले पर विचार किए जाने तक निरुद्ध व्यक्ति को अनुतोष उपलब्ध नहीं हो सकता है और यह मामले को सलाहकार के पास भेजने में उपयुक्त सरकार द्वारा लिए गए समय निर्भर करेगा। इसके अलावा केवल उन मामलों में सलाहकार बोर्ड को निर्देश देना आवश्यक है जहां निरोध की अवधि तीन महीने से अधिक होने वाली है और यदि निरोध की अवधि तीन महीने से कम है तो सलाहकार बोर्ड को निर्देश देना अनिवार्य नहीं है। ऐसे ऐसे मामले में अनुच्छेद 22 के खंड (5) के अंतर्गत अभ्यावेदन करने का अधिकार निरर्थक हो जाएगा। ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो इस तरह के परिणाम की ओर ले जाता है।

इस संदर्भ में, हम अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने से संबंधित इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।

अब्दुल करीम और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1969]3 एससीआर 479, में सरकार की ओर से आग्रह किया गया था कि चूंकि निरुद्ध व्यक्तियों के मामले पर विचार करने और राज्य सरकार को यह आख्या देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया गया था कि क्या निरोध के लिए पर्याप्त आधार था। राज्य सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की कोई बाध्यता नहीं थी। उक्त अभिवाक को खारिज करते हुए कहा गया:

" अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अभ्यावेदन का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है और यह महज औपचारिकता नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थी के इस अभिवाक को स्वीकार करना करना संभव नहीं है कि राज्य सरकार अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कानूनी दायित्व दायित्व के अंतर्गत नहीं है और यह कि अभ्यावेदन को सलाहकार बोर्ड को भेजने का समय या अवसर आने तक सचिवालय के अभिलेखागार में ठंडे बस्ते में रखा जाना चाहिए। चाहिए। यदि प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए तर्क का दृष्टिकोण सही है , तो अनुच्छेद 22(5) मे निहित संवैधानिक अधिकार भ्रामक हो जाएगा। उदाहरण के लिए गलत पहचान के कारण किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का मामला लें , यदि निरोध का आदेश 'ए' के विरुद्ध गया है और एक अलग व्यक्ति 'बी' को , नामों की समानता या ऐसे ही किसी कारण से पुलिस अधिकारियों द्वारा निरुद्ध किया जाता है, तो यह अभिवाक संगत नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार को गलत व्यक्ति को निरोध से रिहा करने से पहले सलाहकार बोर्ड की आख्या की प्रतीक्षा करनी चाहिए।" [पृ.487]

अब्दुल करीम (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय की इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पंकज कुमार चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1970] 1 एससीआर 543 मामले में दोबारा पुष्टि की थी। जिसमें यह देखा गया:

"यह सत्य है कि खंड (5) सकारात्मक भाषा में यह निर्धारित नहीं करता है कि अभ्यावेदन किसे किया जाना है और यदि किया जाता है तो किसके द्वारा उस पर विचार विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति "यथाशक्य शीघ्र" और उस खंड में "शीघ्रातिशीघ्र अवसर" स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आधारों को सूचित किया जाना है और एक अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि निरुद्ध व्यक्ति को यह दर्शाने में सक्षम बनाया जा सके कि यह निरोध अनुचित है और चूंकि कोई अन्य प्राधिकारी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए इसलिए यह केवल निरोध करने वाला प्राधिकारी ही हो सकता है जिसे अभ्यावेदन भेजा जाना है, जो अभ्यावेदन पर विचार करेगा | हालांकि खंड 5 स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहता है, लेकिन इसके प्रावधानों से यह पता चलता है कि यह निरोध करने वाला प्राधिकारी है जिसे निरुद्ध व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन देने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर और अभ्यावेदन देने पर उसपे विचार करना चाहिए कि क्या उसका आदेश गलत है या विधि के के विपरीत है जिसके द्वारा उसे निरुद्ध किया गया था।'[पृ.548]

[जोर दिया गया]

जयनारायण सुकुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1970]3 एससीआर 225, संविधान पीठ द्वारा निर्धारित मामले से, इस न्यायालय ने धारित किया

"विस्तृत रूप से , निरुद्ध व्यक्तियों के अभ्यावेदन के संबंध में चार सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले , उपयुक्त प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्तियों को अभ्यावेदन का अवसर देने के लिए और यथाशक्य शीघ्र निरुद्ध व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है। दूसरा , उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन विचार करना सलाहकार बोर्ड की किसी भी कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है , जिसमें सलाहकार बोर्ड द्वारा निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार भी शामिल है। तीसरा, इस मामले के विचार में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यह सत्य है कि उचित प्राधिकारी द्वारा विचार के दौरान लिए गए समय के बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है , लेकिन यह ध्यान मे रखना होगा कि सरकार को नागरिकों के शासन में जागरूक रहना चाहिए | एक नागरिक का अधिकार राज्य के एक सहसंबंधी कर्तव्य को जन्म देता है। चौथा, उपयुक्त सरकार को मामले को सलाहकार बोर्ड में भेजने से पहले अभ्यावेदन पर

अपनी राय और निर्णय देने के साथ, निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को भी भेजना होगा यदि उपयुक्त सरकार निरुद्ध व्यक्ति को रिहा करती है तो सरकार द्वारा मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजने कि आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी सरकार निरुद्ध व्यक्ति रिहा नहीं करती है तो सरकार निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन के साथ मामले को बोर्ड को भेज देगी।" [पृ.232]

(जोर दिया गया)।

सभी मामले जो निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निरोध आदेशों से संबंधित हैं, जिसमें विशेष रूप से [धारा 7(1) में] प्रावधान किया गया है कि निरोध आदेश देने वाला प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को “उपयुक्त सरकार” के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतिशीघ्र अवसर देगा और इसी कारण से न्यायलय ने यह टिप्पणियाँ की हैं कि अभ्यावेदन पर "राज्य सरकार" द्वारा विचार किया जाना चाहिए, हालांकि निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा निरोध आदेश दिए गए थे। हालाँकि इन मामलों में ध्यान केवल इस प्रश्न पर था क्या अभ्यावेदन पर राज्य सरकार या सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए , और न्यायलय को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को भी अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए, फिर भी हम पाते हैं कि पंकज पंकज कुमार चक्रवर्ती (उपरोक्त) में न्यायलय ने कहा है कि "निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी" को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसपे विचार करना चाहिए। इसी प्रकार , जयनारायण सुकुल (उपरोक्त) में न्यायालय ने पहले तीन सिद्धांतों में "उचित प्राधिकारी अभिव्यक्ति का उपयोग चौथे सिद्धांत में प्रयुक्त "उचित सरकार" अभिव्यक्ति से भिन्न हुए किया है। अभिव्यक्ति "निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी" का अर्थ वह प्राधिकारी होगा जिसने व्यक्ति के निरोध का आदेश दिया है और वह प्राधिकारी जिसने ऐसे निरोध को जारी रखने का आदेश दिया है।

अमीर शाद खान (उपरोक्त) में यह कहा गया है :-

"निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 22 (5) में निहित संवैधानिक सुरक्षा से प्रवाहित होता है जो प्राधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व अधिरोपित करता है कि यदि निरुद्ध व्यक्ति ऐसा चाहता है तो उस अधिकार का प्रयोग करने का उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाए। निरोध आदेश देने वाले प्राधिकारी पर दोहरा दायित्व अधिरोपित की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उन आधारों से निरुद्ध को परिचित कराना है जिन आधारों पर निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने अधिनियम की

धारा 3(1) के अंतर्गत विचारण के बिना निरोध की असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जिस से निरुद्ध व्यक्ति को उस शक्ति के प्रयोग में किसी भी त्रुटि को इंगित करने का अवसर दिया जा सके और उक्त प्राधिकारी यथाशीघ्र त्रुटि को ठीक किया जा सके ताकि उसके द्वारा किए गए नुकसान को कम करने का अवसर मिल सके।जैसे ही यह माना गया कि अनुच्छेद 22(5) अभ्यावेदन का अधिकार प्रदान करता है, अगला प्रश्न यह है कि अभ्यावेदन किसे किया जाना चाहिए। निरोध के आधार स्पष्ट रूप से निरुद्ध व्यक्ति को सूचित करते हैं कि वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सलाहकार बोर्ड को भी अभ्यावेदन अभ्यावेदन कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभ्यावेदन उस प्राधिकारी को किया किया जाना चाहिए जिसके पास जरूरत पड़ने पर निर्णय को रद्द करने की शक्ति है। " [पृ.46]

इसलिए अनुच्छेद 22(5) का अर्थ यह निर्वचित किया जाना चाहिए कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार है , जो न केवल सलाहकार बोर्ड को, बल्कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को भी दिया जा सकता है, यानी, वह प्राधिकारी जिसने निरोध आदेश दिया है या निरोध को जारी रखने का आदेश दिया है या जो उक्त आदेश को रद्द करके तत्काल अनुतोष देने में सक्षम है , साथ ही किसी प्राधिकारी को भी, जो निरोध के आदेश को रद्द करने और इस तरह निरुद्ध व्यक्ति को अनुतोष देने के लिए विधि के अंतर्गत सक्षम है। अभ्यावेदन का अधिकार इसके भीतर निरुद्ध व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए निरोध आदेश देने वाले प्राधिकारी पर एक संबंधित दायित्व रखता है जिससे निरोध के आदेश के विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति अधिकारियों को अभ्यावेदन दें सके,जो अधिकारी इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार विचार करने के लिए अधिकृत है ।

इस प्रकार अनुच्छेद 22(5) द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यावेदन करने के अधिकार की प्रकृति को परिभाषित करने के बाद अब हम कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में सुसंगत प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते सकते हैं ।

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

3. कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति-(1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी का , जो उस सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है , और जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है , या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का, जो उस सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का नहीं है और जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है किसी व्यक्ति के संबंध में (जिसके अन्तर्गत विदेशी भी है) यह समाधान हो जाता है कि उसे विदेशी मुद्रा के संरक्षण संरक्षण या संवर्धन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से या उसे,-

(i) माल की तस्करी करने, अथवा

(ii) माल की तस्करी का दुष्प्रेरण करने, अथवा

(iii) तस्करित माल के परिवहन या छिपाने या रखने का काम करने, अथवा

(iv) तस्करित माल के परिवहन या छिपाने या रखने का काम करने से अन्यथा तस्करित माल का व्यवहार करने, अथवा

(v) माल की तस्करी में या माल की तस्करी के दुष्प्रेरण में लगे हुए व्यक्ति को संश्रय देने,

से निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी या कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए:

[परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी भी ऐसे आधार पर निरोध का कोई आदेश नहीं किया जाएगा जिस पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 के अधीन या जम्मू - कश्मीर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश , 1988 (1988 का जम्मू-कश्मीर अध्यादेश सं० 1) की धारा 3 के अधीन निरोध का आदेश किया जा सकता है ।]

(2) जब निरोध -आदेश राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी द्वारा किया जाता है तो राज्य सरकार दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को उस आदेश के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगी ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (5) के प्रयोजनों के लिए , निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन आधारों की दी जाएगी जिन पर आदेश किया गया है किन्तु सामान्यतया यह संसूचना निरोध की तारीख से पांच दिन के भीतर दी जाएगी और आपवादिक परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से , जो लेखबद्ध किए जाएंगे , निरोध की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर दी जाएगी ।

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 , जो निरोध आदेशों को रद्द करने का प्रावधान करती है, निम्नलिखित है

11. निरोध-आदेश का प्रतिसंहरण-(1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा धारा 21 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि किसी भी निरोध -आदेश को, किसी भी समय,-

(क) इस बात के होते हुए भी कि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया गया था, उस राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिसंहृत या उपान्तरित जा सकेगा ;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि आदेश केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा ।

(2) निरोध-आदेश के प्रतिसंहृत किए जाने से उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अन्य निरोधआदेश का किया जाना वर्जित न होगा ।

पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3 कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के समान है । धारा 3 की उपधारा (1) में थोड़ा अंतर है लेकिन उपधारा (2) और (3) समान हैं। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 12 निरोध आदेशों को रद्द करने का प्रावधान करती है और यह कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 के समान है।

कोफेपोसा अधिनियम और PIT NDPS अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,1980 के साथ-साथ पहले के निवारक निरोध कानूनों , अर्थात् निवारक निरोध अधिनियम, 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 में निहित प्रावधानों प्रावधानों से भिन्न हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत ,जिलाधिकारी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त को निरोध आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई

है, और धारा 3 की उपधारा (4) यह निर्धारित करती है कि अधिकारी को आदेश दिए जाने जाने की आख्या तुरंत उस राज्य सरकार को देनी होगी जिसके वह अधीनस्थ है , उन आधारों के साथ जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण, जो उसकी राय में, में, मामले पर असर डालते हैं, और ऐसा कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच, इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8(1) में यह प्रावधानित है कि आदेश देने वाला प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध उपयुक्त सरकार को अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। इसी तरह के प्रावधान निवारक निरोध अधिनियम , 1950 और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम1971 में शामिल थे। कोफेपोसा अधिनियम अधिनियम और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान उस अधिकारी,जो विशेष रूप रूप से ऐसा आदेश पारित करने के लिए धारा 3 के अंतर्गत सशक्त हैं , द्वारा पारित आदेशों का उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं करते है। उक्त अधिनियम यह निर्धारित नहीं करता है कि आदेश देने वाला प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को उपयुक्त को अभ्यावेदन करने का अवसर देगा।

कोफेपोसा अधिनियम और PIT NDPS अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश निम्नलिखित द्वारा दिया जा सकता है-

(i) केंद्र सरकार; या

(ii) केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी या

(iii) राज्य सरकार; या

(iv) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के दृष्टिगत जिस प्राधिकारी ने निरोध आदेश दिया है वह उक्त आदेश को रद्द करने में सक्षम होगा। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और PIT NDPS अधिनियम की धारा 12 आदेश देने वाले प्राधिकारी के अलावा अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश को रद्द करने का प्रावधान करती है | इन धाराओं की उप -धारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को राज्य सरकार के साथ -साथ केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है और उपधारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश

केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द करने की शक्ति है-

(i) राज्य सरकार;

(ii) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी और

(iii) केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी।

इसी प्रकार, राज्य सरकार के पास , राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने की शक्ति है। दूसरे शब्दों राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा भी रद्द किया जा सकता है , राज्य सरकार द्वारा दिए आदेश को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। हालाँकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्रदत्त उक्त शक्ति , उस प्राधिकारी को उपलब्ध शक्तियों को कम नहीं करती है जिसने निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए आदेश दिया है। निरोध आदेश को निरस्त करने की शक्ति जो केंद्र सरकार और राज्य को विदेशी मुद्रा संरक्षण और निवारण अधिनियम की धारा 11 के खंड ए और बी में एवं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988(पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस.) की धारा 12 मे प्रदान की गई है , निरोध आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को उपलब्ध निरसन की शक्ति के अतिरिक्त है। यह दोनों प्रावधानों की (1) में "सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1997 का अधिनियम 10) की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

यदि निरसन की शक्ति को उस प्राधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए मानदंड के रूप में माना जाता है जिसको अभ्यावेदन दिया जा सकता है , तो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन उस अधिकारी को किया जा सकता है जिसने आदेश दिया है और उसके साथ-साथ-साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी, जो आदेश को रद्द करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन उस अधिकारी को दिया जा सकता है, जिसने आदेश दिया है और साथ ही केंद्र सरकार को भी।

हालाँकि विद्वान अतिरिक्त महान्यायाभीकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है और हालांकि निरोध आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है , निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी उपयुक्त है जिसने अधिकारी को निरुद्ध आदेश देने का अधिकार दिया है और इसलिए, यह अकेले उपयुक्त सरकार है जो अभ्यावेदन पर विचार कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है और एक अभ्यावेदन उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जिसने निरोध आदेश दिया है। विद्वान अतिरिक्त महान्यायाभीकर्ता के अनुसार निरोध आदेशों रद्द करने के संबंध में एकमात्र प्रावधान कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम अधिनियम की धारा 12 में निहित है और उक्त प्रावधानों के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही निरोध आदेश रद्द का अधिकार दिया गया है।यह तर्क कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 में प्रयुक्त शब्द "धारा 21 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" को कोई बल नहीं देता है| जैसा पूर्व मे इंगित किया जा चुका है ,इन शब्दों का प्रयोग उस अधिकारी जिसने आदेश पारित किया हो,की निरस्त करने की शक्ति को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संरक्षित करता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरसन की शक्ति प्रदान करने से निरोध आदेश देने वाले अधिकारी को उसके द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने की से वंचित करने का प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा है तो जिस अधिकारी ने निरोध आदेश दिया दिया है , वह ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए निरोध आदेश के विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है।

इस स्तर पर , हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं जिनका विचाराधीन प्रश्न पर प्रभाव पड़ता है।

इब्राहिम बच्चू बफान बनाम गुजरात राज्य और अन्य ,(उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का निर्वचन करते हुए धारित किया :

अधिनियम की धारा 11(1) में प्रयुक्त शब्द "सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना " विधायी आशय को अभिव्यक्ति देते हैं, जो उस अधिकार को प्रभावित किए बिना है जो आदेश देने वाले प्राधिकारी को सामान्य खंड

अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत प्राप्त है। अधिनियम की धारा 11(1) के खंड (ए) और (बी) में नामित अधिकारियों को भी निरोध आदेश रद्द या संशोधित करने के लिए उपलब्ध उपलब्ध है । अधिनियम की धारा 11(1) खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नामित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिन प्राधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत ऐसी शक्ति प्रदान की गई है , वे आदेश देने वालों से भिन्न हैं। इसलिए , ऐसी शक्ति प्रदान करना आवश्यक था क्योंकि संसद ने उचित पाया था कि इस स्थिति से निपटने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार , किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हुए और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शक्ति को स्पष्ट रूप से संरक्षित करते हुए, मूल प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति नामित प्राधिकारियों को प्रदान की गई है।(पृ.28]

अमीर शाद खान (उपरोक्त) में बहुमत का दृष्टिकोण इस प्रकार व्यक्त किया गया है

"इसलिए जहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने कोई निरोध आदेश पारित किया है और एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वह आश्वस्त है कि निरोध आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है, तो वह सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आधार पर ऐसा कर सकता है। चूँकि अधिनियम की धारा 11 उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देती है। यदि राज्य सरकार निरोध आदेश पारित करती है और बाद में इसे रद्द करना चाहती है, चाहे निरुद्ध व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा , वह सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत ऐसा करने के लिए सशक्त होगी , लेकिन यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उसके अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को रद्द करना है तो वह ऐसा केवल अधिनियम की धारा 11(1) के खंड (बी) के अंतर्गत कर सकती है , सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नहीं। यह स्पष्ट करता है कि क्यों धारा 11 के अंतर्गत शक्ति सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रदान की जाती है ।" [पृ.49]

श्रीमती सुशीला माफतलाल शाह (उपरोक्त) में निरोध आदेश कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत श्री डीएन कपूर , विशेष कर्तव्य अधिकारी,द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र सरकार, गृह विभाग के पदेन सचिव को सरकार द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के रूप में सशक्त किया गया था। निरुद्ध व्यक्ति को यह सूचित किया गया था कि उसे निरोध आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के साथ -साथ भारत सरकार को भी अभ्यावेदन करने का अधिकार है , लेकिन

निरुद्ध व्यक्ति को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसे स्वयं निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार था। यह तर्क दिया गया कि इसका परिणाम अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत अभ्यावेदन के अधिकार से वंचित करना है। उक्त तर्क को इस न्यायालय [न्यायमूर्तिगण एपी सेन और एस नटराजन,] ने अस्वीकार कर दिया। अब्दुल करीम (उपरोक्त), जयनारायण सुकुल (उपरोक्त), हराधन साहा बनाम बंगाल राज्य , [1975] 3 एससीसी 198 और जॉन मार्टिन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , [1975] 3 एससीसी 836 में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद , यह अभिनिर्धारित किया गया कि" अनुच्छेद 22(5) की सरल भाषा में उक्त अनुच्छेद निरुद्ध व्यक्ति को यह अभिवाक देने के लिए आधार प्रदान नहीं करता है कि वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार के अलावा, अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत उसे डीएन कपूर के समक्ष अभ्यावेदन देने का भी अधिकार है क्योंकि निरोध आदेश उन्होंने ही दिया था। " (पृ.498) कोफेपोसा अधिनियम में निहित प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद और यह देखने के बाद कि अन्य निवारक निरोध अधिनियमों , जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम , निवारक निरोध अधिनियम, के विपरीत, कोफेपोसा अधिनियम अपने किसी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित निरोध आदेश को सरकार द्वारा अनुमोदन देने का प्रावधान नहीं करता है , विद्वान न्यायमूर्तियों ने विचार व्यक्त किया है कि "किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश उसके जारी होने के समय से सरकार द्वारा 'मानित अनुमोदन' प्राप्त करता है और इसके सरकार निरुद्ध करने वाली प्राधिकारी बन जाती है और इस तरह निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर अत्यंत शीघ्रता से विचार करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। " (पृ.505) कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1981] 3 एससीसी 558 और श्रीमती मासूमा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1981] 3 एससीसी 566 के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है।

विद्वान अतिरिक्त महान्यायाभीकर्ता ने श्रीमती सुशील मफतलाल शाह (उपरोक्त) में निर्धारित विधि को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। हमें ऐसा करने में असमर्थता पर खेद है। श्रीमती सुशीला मफतलाल शाह (उपरोक्त) में निर्णय दो आधारों अग्रसारित होती है : (i) अनुच्छेद 22(5) आदेश देने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को अभ्यावेदन करने का अधिकार नहीं देता है और (ii) कोफेपोसा अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जब निरोध आदेश विशेष रूप से ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है तो निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी उपयुक्त सरकार होती है, अर्थात्, वह सरकार जिसने अधिकारी को आदेश देने का अधिकार दिया है क्योंकि क्योंकि ऐसे आदेश को उसके जारी होने के समय से ही सरकार द्वारा 'मानित अनुमोदन' प्राप्त हो जाता है।

उचित सम्मान के साथ हमारे लिए दोनों आधारों से सहमत होना कठिन है। अनुच्छेद 22(5) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए हमने स्पष्ट किया है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार है। यह अभ्यावेदन प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा जो ऐसा अनुतोष प्रदान कर सकता है , अर्थात वह प्राधिकारी जो निरोध आदेश को रद्द कर सकता है और उसे स्वतंत्र कर सकता है और चूंकि जिस अधिकारी ने निरोध आदेश दिया है, वह इसे रद्द करने में सक्षम है , इसलिए निरुद्ध व्यक्ति को उस अधिकारी के सामने अभ्यावेदन देने का अधिकार है जिसने निरोध आदेश दिया है। इसलिए, पहली धारणा यह है कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 22(5) से प्राप्त नहीं होता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विद्वान न्यायमूर्तिगण, अब्दुल करीम (उपरोक्त) की टिप्पणियों और जयनारायण सुकुई (उपरोक्त), हराधन साहा (उपरोक्त) और जॉन मार्टिन (उपरोक्त) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह ध्यान देने में विफल रहे हैं कि इन मामलों में न्यायालय निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 7(1) में निहित प्रावधानों के आलोक में विचार कर रही थी , जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया था कि अभ्यावेदन उचित सरकार को किया जाना जाना था। इसलिए, उक्त निर्णयों में राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने के संबंध में टिप्पणियों को निवारक निरोध अधिनियम में उक्त प्रावधान के आलोक में समझा समझा जाना चाहिए और उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 22(5) 22(5) यह अभिधारणा नहीं करता है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को अभ्यावेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।

दूसरा आधार यह है कि केंद्र सरकार उस तारीख से निरुद्ध करने वाली प्राधिकारी बन जाती है जब से वह आदेश पारित करके अधिकारी को विशेष रूप से सशक्त करती है चूंकि चूंकि इसके जारी होने के समय से सरकार द्वारा इसे मानित अनुमोदन माना जाता है , कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के विपरीत है जो अन्य निवारक निरोध कानूनों , अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम , 1971 और निवारक निरोध अधिनियम , 1950 से भिन्न है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत ,जिलाधिकारी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त को निरोध आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है, और धारा 3 की उपधारा (4) यह निर्धारित करती है कि अधिकारी को आदेश दिए जाने जाने की आख्या तुरंत उस राज्य सरकार को देनी होगी जिसके वह अधीनस्थ है , उन

आधारों के साथ जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण, जो उसकी राय में, में, मामले पर असर डालते हैं, और ऐसा कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच, इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। इससे पता चलेगा कि यह राज्य सरकार का अनुमोदन है जो आदेश को जीवित रखता है जो अन्यथा इसके पारित होने के बारह दिनों की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। धारा 3(4) की यह भी आवश्यकता है कि आख्या के साथ वे आधार शामिल होने चाहिए जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण , जो उक्त अधिकारी की राय में, मामले पर असर डालते हैं , जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार को निरोध आदेश को मंजूरी देते समय आधार और उक्त सामग्री को ध्यान में रखना होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन का प्रभाव यह है कि इस तरह के अनुमोदन की तारीख से निरोध को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और राज्य सरकार अनुमोदन के की तारीख से निरुद्ध करने वाली प्राधिकारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही कारण है कि धारा 8(1) में परिकल्पना की गई है कि निरोध आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया जाना चाहिए। कोफेपोसा अधिनियम और PIT NDPS अधिनियम के लिए लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपने बल पर स्वतः संचालित होता है। कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम धारा 3(2) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि राज्य सरकार दस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में एक आख्या भेजेगी। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के समान ही माना जाता है क्योंकि ऐसे दोनों आदेशों के संबंध में आख्या केंद्र सरकार को भेजनी होती है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में ऐसी कोई आख्या केंद्र सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं है। धारा 3(2) में निहित आख्या अग्रेषित करने के संबंध में आवश्यकता इसलिए नहीं नहीं है क्यूंकी कोफेपोसा अधिनियम और PIT NDPS अधिनियम यह मानने का आधार नहीं दे सकते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उसके जारी होने की तारीख से उस सरकार की मानित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है। अनुमोदन, वास्तविक या मानित अनुमोदन, अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा रही कार्रवाई पर विवेकानुसार विचार विमर्श को दर्शाता है। निरोध आदेश के अनुमोदन के लिए अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा उन आधारों और सहायक सामग्री पर विचार करना आवश्यक होगा जिसके आधार पर आदेश देने वाला

वाला अधिकारी निरोध आदेश पारित करने के उद्देश्य की अपेक्षित संतुष्टि पर पहुंचा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(4) के विपरीत, कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं है कि निरोध आदेश देने के उद्देश्य से विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को संबंधित सरकार को तुरंत आधार और सहायक सामग्री जिसके आधार पर निरोध आदेश दिया गया है , की जानकारी भेजनी होगी ।

न ही उक्त अधिनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरोध आदेश दिए जाने के बाद संबंधित सरकार को उन आधारों और सहायक सामग्री पर विचारण करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर निरोध आदेश दिया गया है। एकमात्र परिस्थिति जिससे अनुमोदन के बारे में निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह यह है कि आदेश संबंधित सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया है। केवल इसलिए कि निरोध आदेश उस अधिकारी द्वारा किया गया है जिसे उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाया गया है, हमारी राय में, यह अनुमान लगाना उचित नहीं होगा कि उक्त आदेश को जारी करने की तिथि से उक्त आदेश को सरकार का मानित अनुमोदन प्राप्त है जिसने उसने इस प्रकार सशक्त किया है, ताकि उक्त सरकार को निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी बनाया जा सके। कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत किसी विशेष अधिकारी को विशेष रूप से सशक्त बनाकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार उक्त अधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति की गतिविधियों के आधार पर अपनी संतुष्टि के बाद निरोध आदेश देने की स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है। चूंकि निरुद्ध निरोध को ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश से विधिक अनुमति मिलती है , इसलिए अधिकारी उक्त व्यक्ति के संबंध में निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी है। जब तक निरोध प्रभावी रहता है तब तक वह निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी बना रहता है। वह निरुद्ध वाला प्राधिकारी तभी समाप्त होता है जब निरोध आदेश लागू होना समाप्त हो जाता है। यह विधि द्वारा निर्धारित निरोध की अवधि की समाप्ति पर या अधिकारी द्वारा स्वयं या कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा आदेश को रद्द किए जाने पर होगा । इन अधिनियमों के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि निरोध आदेश देने देने के बाद अधिकारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और उसके बाद वह निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी नहीं रह जाता है और संबंधित सरकार जिसने उसे अधिकार दिया था वह निरोध प्राधिकारी की भूमिका निभाती है। हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों का निर्वचन उस अधिकारी पर इतनी सीमित शक्ति सौंपने के प्रावधान के रूप में करने मे असमर्थ हैं

जो आदेश पारित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त है। इसके विपरीत एक संकेत कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 में दिया गया है जो ऐसे अधिकारी की उसके द्वारा दिए गए आदेश को रद्द की शक्ति को संरक्षित करता है। इसका अर्थ यह है कि निरोध आदेश पारित करने के पश्चात अधिकारी परिपेक्ष्य से बाहर नहीं होता है। इसलिए, यह धारित किया जाना चाहिए कि उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी बना रहेगा और निरोध आदेश देने के बाद संबंधित सरकार द्वारा उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। इसलिए, निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी होने के नाते उसे निरुद्ध व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए|

कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) में , निरोध आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था न कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा। इसी प्रकार श्रीमती मसुमा (उपरोक्त) में यह धारित किया गया कि आदेश पी.वी नायक द्वारा राज्य सरकार के एक अधिकारी के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं दिया गया था, बल्कि यह उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए दिया था क्यूंकि वे राज्य सरकार के सचिव थे जिसको नियमों के अनुसार राज्य सरकार के के लिए राज्य की ओर से और राज्य के नाम पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया गया था और इसलिए यह राज्य सरकार थी जिसने निरोध आदेश पारित किया था। उक्त निर्णय उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से संबंधित नहीं थे इस तथ्य पर अधिकारी द्वारा विचार करना आवश्यक है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इब्राहिम बच्चू बफान (उपरोक्त) में तीन न्यायमूर्तियों की पीठ के निर्णय को श्रीमती सुशीला मफ़तलाल शाह (उपरोक्त)का निर्णय करने वाले विद्वान न्यायमूर्तियों के ध्यान में नहीं लाया गया था। उपरोक्त कारणों से हमारा मानना है कि श्रीमती सुशीला मफ़तलाल शाह (उपरोक्त) में निर्णय, जहां तक यह धारित किया गया है कि जहां इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा निरोध आदेश दिया जाता है , तो निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसे केवल ऐसे अधिकारी को सशक्त बनाने वाली उपयुक्त सरकार द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए , वहाँ तक यह निर्णय सही विधि स्थापित नहीं करता है ।

विद्वान अतिरिक्त महान्यायभीकर्ता ने जॉन मार्टिन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य निर्णय पर भी भरोसा जताया है , जिसमें न्यायलय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था

अधिनियम1971 के अंतर्गत किए गए निरोध आदेश पर विचार कर रही थी जिसमें निरोध निरोध आदेश के विरुद्ध उचित सरकार को अभ्यावेदन देने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान धारा8(1) शामिल था। इसलिए उक्त निर्णय का कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत निरोध में कोई प्रयोज्यता नहीं है , क्योंकि उपर्युक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 22(5) के प्रावधानों और कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए , पूछे गए प्रश्न का इस प्रकार दिया गया है: जहां कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया है है जो की केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को उक्त अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने का अधिकार और उक्त अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है और यदि वह अपनी ओर से ऐसा करने में विफल होता है ,ऐसा करने से निरुद्ध व्यक्ति निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए प्रदत्त अधिकार से वंचित हो जाता है। निरुद्ध व्यक्ति यह अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के अतिरिक्त है, जहां निरोध आदेश राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया है और उसके द्वारा अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया जाएगा |अभ्यावेदन करने के इस अधिकार का अनिवार्य रूप से तात्पर्य यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को उस प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिसने उस समय निरोध आदेश दिया है जब उसे निरोध के आधार दिए गए हों ताकि उसे अभ्यावेदन करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और यदि वह अपनी ओर से ऐसा करने में विफल होता है ,ऐसा करने से निरुद्ध व्यक्ति निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए प्रदत्त अधिकार से वंचित हो जाता है।

विचारार्थ रखे गए प्रश्न के उत्तर के आलोक में अब अपीलों पर विचार किया जा सकता है।

सी.आर.एल.ए.सं. 1994 का 764-765.

सी.आर.एल. 1994 की संख्या 764-765, यह मामला ईश्वरदास बेचारदास पटेल के आदेश से संबंधित है जिसे श्री महेंद्र प्रसाद (जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग), केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा 21 जनवरी, 1994 को कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पारित किया गया था । निरुद्ध व्यक्ति को फरवरी 5,1994 को निरोध के आधार तामील करा दिए गए थे । 21

फरवरी, 1994 को निरुद्ध व्यक्ति ने उस अधिकारी , जिसने निरोध आदेश दिया था , भारत सरकार के संयुक्त सचिव , श्री महेंद्र प्रसाद , साथ ही सलाहकार बोर्ड को एक अभ्यावेदन दिया। 22 मार्च, 1994 को निरुद्ध व्यक्ति को सूचित किया गया कि उक्त अभ्यावेदन पर केंद्र सरकार ने विचार किया और उसे खारिज कर दिया गया है। हालाँकि , निरोध आदेश देने वाले अधिकारी ने उक्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया़जबकि यह उसे उसे संबोधित था और उसने उक्त अभ्यावेदन को अपनी सिफारिश के साथ अग्रेषित कर दिया कि अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया जाए। अपीलकर्ता , जो निरुद्ध व्यक्ति का है, उसके द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। 20 जुलाई, 1994 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित तीन प्रश्नों को पूर्ण पीठ के विचार के लिए संदर्भित किया

(1) क्या कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को सामान्य खंड खंड अधिनियम की धारा 1 सपठित कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 को ध्यान में रखते रखते हुए निरोध आदेश को रद्द करने की भी स्वतंत्र शक्ति है?

(2) क्या अमीर शाद खान के मामले मे कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी की आदेश रद्द करने की शक्ति के संबंध में की टिप्पणियाँ इस पर बाध्यकारी नहीं हैं?

(3) क्या कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरोध आदेश को रद्द करने पर स्वतंत्र निर्णय लेने में विफलता और इसे केवल अस्वीकार करने की सिफारिश के साथ अग्रेषित करने से संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा का गैर-अनुपालन होता है?

26 अगस्त,1994 को पूर्ण पीठ के निर्णय के अनुसार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक था और यह धारित किया गया था कि कोफेपोसा अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के पास कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 सपठित सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 21 के दृष्टिगत आदेश रद्द करने की स्वतंत्र शक्ति है । प्रश्न संख्या का भी सकारात्मक उत्तर दिया गया और यह धारित किया गया कि कोफेपोसा अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण की शक्ति के संबंध में अमीर शाद खान (उपरोक्त) की टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी थीं। प्रश्न संख्या 3 उत्तर नकारात्मक था और यह धारित किया गया कि निरोध आदेश देने वाले अधिकारी की की ओर से निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में विफलता का कोई परिणाम नहीं था क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर वास्तविक और सारतः

वित्त मंत्री द्वारा विचार किया गया था जो इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त प्राधिकारी था। इसके बाद मामले पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विचार किया गया और 16/19 सितंबर, 1994 के निर्णय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई। ये अपीलें 26 अगस्त, 1994 के पूर्ण पीठ के निर्णय के साथ -साथ 16/19 सितंबर, 1994 के खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी ने प्रश्न संख्या 3 पर पूर्ण पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को चुनौती दी और प्रस्तुत किया कि निरोध आदेश देने वाले अधिकारी की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने में विफलता हुई हुई है, जिसके परिणामस्वरूप निरुद्ध व्यक्ति अनुच्छेद 22(5) द्वारा मान्यता प्राप्त अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित हो जाता है और उक्त इनकार निरुद्ध व्यक्ति के निरोध को अवैध और विधि विरुद्ध बना देता है। अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में श्री जेठमलानी ने श्रीमती संतोष आनंद बनाम भारत संघ , [1981] 2 एससीसी 420 के निर्णय पर भरोसा जताया है। उस मामले में निरोध आदेश मुख्य सचिव , दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया गया था , जो कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। निरुद्ध व्यक्ति द्वारा निरुद्ध वाले प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य सचिव, को एक अभ्यावेदन दिया गया था , और मुख्य सचिव सचिव ने इसे प्रशासक को अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत इस आशय के समर्थन के साथ अग्रेषित किया कि"प्रतिवेदन अस्वीकार किया जा सकता है" और उक्त अभ्यावेदन प्रशासक प्रशासक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन और अस्वीकृति पर विचार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा से वंचित किया किया गया। उक्त तर्क को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यह पाया गया:

"इस प्रकार यह हमारे लिए स्पष्ट है कि यह कहा जा सकता है कि अभ्यावेदन पर मुख्य सचिव द्वारा सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार करने का निर्णय स्वयं नहीं लिया और इस उद्देश्य के लिए कागजात प्रशासक को प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अंततः अस्वीकार कर दिया। हमारे समक्ष मुख्य सचिव द्वारा कोई शपथ दायर नहीं किया गया है जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए अभ्यावेदन को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत

संवैधानिक सुरक्षा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है , का कड़ाई से अनुपालन किया गया है।' [पृ.422]

बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने श्रीमती संतोष आनंद (उपरोक्त) के निर्णय पर ध्यान दिया है परंतु इस न्यायालय के बाद के निर्णयों सतपाल बनाम पंजाब राज्य , [1982] 1 एससीसी 12 और राजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, [1982] 3 एससीसी 10 पर भरोसा किया है यह धारित करने के लिए कि न्यायालय को मामले के सार को देखना चाहिए और केवल तकनीकी तौर पर कार्य नहीं करना चाहिए और भले ही संवैधानिक रूप से निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी पर अभ्यावेदन पर विचार करने का कर्तव्य है, फिर भी यदि वास्तव में और प्रभाव में , उपयुक्त सरकार ने अंततः निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार किया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन हुआ है।

सत पाल बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त) में , निरोध आदेश पंजाब राज्य सरकार द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिया गया था और निरुद्ध व्यक्ति ने दो अभ्यावेदन दिए थे, एक संयुक्त सचिव, पंजाब सरकार को संबोधित था और दूसरा सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से केंद्र सरकार को अनुमोदित किया किया गया था। दोनों अभ्यावेदन अधीक्षक , केंद्रीय जेल द्वारा पंजाब राज्य सरकार के संयुक्त सचिव को इस अनुमोदन के साथ अग्रेषित किए गए थे कि उनमें से एक को केंद्र सरकार को भेजा जाए। राज्य सरकार ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया , लेकिन केंद्र सरकार को अभ्यावेदन अग्रेषित करने में राज्य सरकार की ओर से देरी हुई और अंततः केंद्र सरकार ने भी उक्त अभ्यावेदन को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार की ओर से इस अभ्यावेदन पर विचार करने मे कोई देरी नहीं हुई। इस न्यायालय ने धारित किया कि कि केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देने मे कोई इनकार नहीं किया गया था और राज्य सरकार सरकार की ओर से अभ्यावेदन को केंद्र सरकार को अग्रेषित करने में देरी , निरोध आदेश को अमान्य करने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं थी। सतपाल (उपरोक्त) इसलिए यह उन प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा अभ्यावेदन पर विचार न करने का मामला नहीं है , जिन्हें उक्त अभ्यावेदन पर विचार करना आवश्यक था।

राजकिशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य , (उपरोक्त) में जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोध आदेश दिया गया था। निरुद्ध व्यक्ति ने निरोध प्राधिकारी (जिलाधिकारी) को एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन इस बीच निरुद्ध व्यक्ति का मामला सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया और सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले पर

विचार करने के बाद राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने निरुद्ध व्यक्ति की ओर से आग्रह किए गए अभिवाक को बरकरार रखते हुए कि संवैधानिक रूप से अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी पर पर कर्तव्य अधिरोपित किया ,हैराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) का उल्लेख किया किया है जो कि आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का प्रावधान करता है , जिसमे अभ्यावेदन निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं बल्कि उपयुक्त सरकार को दिया जाना चाहिए और यह देखा गया है कि यह संभवतः जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त जैसे अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग पर उपयुक्त सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। यह धारित किया गया कि यदि उपयुक्त सरकार ने निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार किया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है या निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने में विफलता है। संतोष आनंद (उपरोक्त) के निर्णय पर ध्यान दिया गया और इसे इस आधार पर अलग किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 में एक विशिष्ट प्रावधान है जिसके लिए आवश्यक है कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को आदेश के के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर देना होगा , जिससे निरुद्ध व्यक्ति निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को नहीं बल्कि उपयुक्त सरकार को अभ्यावेदन कर सके ।

इसलिए सतपाल (उपरोक्त) और राजकिशोर प्रसाद (उपरोक्त)के निर्णय, जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया है , वह संतोष आनंद (उपरोक्त) में निर्धारित विधि से अलग नहीं होते हैं। यह पाया गया कि निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर निरोध आदेश देने अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया थाउच्च न्यायालय ने यह धारित करने में गलती की कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने में विफलता उसके निरोध आदेश के लिए घातक नहीं है। इसलिए हम प्रश्न संख्या 3 पर पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए उत्तर को बरकरार रखने में असमर्थ हैं और , हमारे विचार में उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया जाना चाहिए। उस आधार पर यह धारित किया जाना चाहिए कि चूंकि निरोध आदेश देने वाले अधिकारी की विफलता के कारण संविधान के के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत निरुद्ध लोगों को प्रदान की गई संवैधानिक सुरक्षा से इनकार किया गया था क्यूंकि निरुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर रूप से विचार करके निर्णय नहीं लिया गया था इसलिए निरुद्ध ईश्वरदास बेचारदास पटेल की आगे की निरुद्धी को अवैध करार दिया जाए। अत : अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

सी.आर.एल.ए.नं. 1994 की 850 और 915

दोनों अपीलों में निरोध आदेश पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से ऐसा आदेश देने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए थे। निरोध के आधार पर निरुद्ध व्यक्ति को केवल यह सूचित किया गया कि वह केंद्र सरकार या सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना अभ्यावेदन दे सकता है। निरुद्ध व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया था कि वह उस अधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है जिसने निरोध आदेश दिया था। परिणामस्वरूप निरुद्ध व्यक्ति निरोध आदेश देने वाले अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन नहीं कर सका। मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर, 1994 और 17 जनवरी, 1994 के अपील के अंतर्गत निर्णयों द्वारा , निरुद्ध लोगों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को अनुमति दी और निरोध आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी की ओर से विफलता हुई थी। निरुद्ध व्यक्ति को यह सूचित करने का कि उसे निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने का अधिकार है, इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत संरक्षित संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सामान्य प्रश्न के हमारे उत्तर के दृष्टिगत , मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निरुद्ध व्यक्तियों के निरोध आदेश को रद्द करने के उक्त बरकरार रखा जाना चाहिए और ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

सीआरएल .ए. संख्या 95 [एस. एल. पी. सीआएल. 282194 से उत्पन्न] भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री महेंद्र प्रसाद, जो एक अधिकारी थे जिन्हे कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत विशेष रूप से सशक्त बनाया गया था, ने कोफेपोसा अधिनियम की की धारा 3 के अंतर्गत दिए गए आदेश दिनांक 27 जुलाई, 1993 द्वारा अपीलकर्ता के पति जयंतीलाल सोमचंद शाह को निरुद्ध करने आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उक्त निरोध को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर, 1993 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से जो तर्क दिए थे उनमें से एक यह था कि उसने 14 सितंबर, 1993 1993 को निरोध प्राधिकारी, केंद्र सरकार और सलाहकार बोर्ड को एक संयुक्त अभ्यावेदन संबोधित किया था और इसे अधीक्षक, बॉम्बे केन्द्रीय कारागार के माध्यम से प्रस्तुत किया किया गया था और उक्त अभ्यावेदन को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था और इस पर निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वयं विचार नहीं किया गया था और स्वतंत्र रूप निर्णय नहीं लिया गया था ।

इन तथ्यों पर प्रत्यर्थियों की ओर से विवाद नहीं किया गया है चूंकि अपीलकर्ता ने निरुद्ध निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी, अर्थात् उस अधिकारी को, जिसे निरोध आदेश देने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया था एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, और उक्त अधिकारी

अधिकारी ने अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत संरक्षित संवैधानिक सुरक्षा से इनकार किया गया है परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के निरोध को अवैध धारित किया जाना चाहिए और उक्त अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

इस स्तर पर विद्वान अतिरिक्त महान्यायभीकर्ता के इस तर्क पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि कुछ निरुद्ध लोग बड़े पैमाने पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी में लिप्त रहे हैं और अन्य राष्ट्र -विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और निरुद्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की प्रकृति बहुत खतरनाक हैं। उनके विरुद्ध दिए गए निरोध आदेशों में हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। हम उन गतिविधियों के हानिकारक परिणामों से अनभिज्ञ नहीं हैं जिनमें निरुद्ध व्यक्तियों के शामिल होने का आरोप है। लेकिन लोगों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रवर्तित करने के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते समय , हम स्वयं को इन विचारों से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह कहा गया है कि स्वतंत्रता का इतिहास प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का इतिहास है। संविधान निर्माताओं को यह पता था कि निवारक निरोध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण शामिल है, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) में, वांछित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ न्यूनतम सुरक्षा उपायों को शामिल करना ध्यान मे रखा। इन सुरक्षा उपायों को न्यायालय द्वारा “उत्साहपूर्वक देखा और लागू किया जाना" आवश्यक है। उनकी कठोरता को किसी व्यक्ति विशेष की गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हम, इस संदर्भ में, वही दोहराएंगे जो इस न्यायलय ने पहले इसी तरह के निवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा था:

"हो सकता है कि निरोध में लिया गया व्यक्ति एक तस्कर हो जिसकी जनजाति (और उनकी संख्या कैसे बढ़ती है !) किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है क्योंकि इसकी गतिविधियों गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। लेकिन निवारक निरोध की विधि उनके अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को केवल मामूली सुरक्षा प्रदान करती हैं और यदि स्वतंत्रता और स्वाधीनता का हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में कोई अर्थ है, तो यह आवश्यक है कि कम से कम उन सुरक्षा उपायों से निरुद्ध व्यक्तियों को वंचित न किया जाए।

[देखें: रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1981] 4 एससीसी 481 पृष्ठ 488 पर]

इसलिए हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

परिणाम स्वरूप वर्ष 1994 की सीआरएल संख्या 850 एवं 915 को खारिज किया जाता है। सीआरएल संख्या 764-765, 1994, सीआरएल संख्या 553/95 (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 282/94 से उत्पन्न) को अनुमति दी जाती है और निरुद्ध अर्थात्, ईश्वरदास बेचारदास पटेल [सीआरएल संख्या 764-765 वर्ष 1994 में अपीलकर्ता के पिता और जयंतीलाल सोमचंद शाह [सीआरएल संख्या 553 वर्ष 1995] में अपीलकर्ता के पति (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 282/94 से उत्पन्न] को रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उनकी आवश्यकता न हो।

अपील को अनुमति दी जाती है / खारिज किया जाता है|